

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p style="text-align: right;"><u>W.R</u></p> <p>अपील / एल.आर. / 2003 / 6039 / सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>11-9-2019</p>	<p style="text-align: center;">एकल पीठ श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य</p> <p>उपस्थित :- श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट</p> <p style="text-align: center;"><u>निर्णय</u></p> <p>1- यह अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-9-2003 के विरुद्ध पेश की गई है।</p> <p>2- प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम उदईकलां, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर-406 रकबा 0.20 बीघा, खसरा नम्बर-412 रकबा 0.21 हैक्टेयर सिवायचक भूमि थी जिसका आवंटन सलाहकार समिति ने कैम्प उदईकलां में दिनांक 24-6-2000 को रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 को कृषि भूमि आवंटन नियम-1970 के तहत किया। उक्त भूमि पर अपीलान्त का कब्जा विगत 25 वर्षों से चला आ रहा था उसके बाद भी आबंटन सलाहकार समिति ने विधि के विरुद्ध जाकर आबंटन किया। ऐसा मत रखकर अपीलान्त ने उक्त आबंटन के विरुद्ध नियम-14(4) के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि उक्त आवंटन को निरस्त किया जाये। विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13-8-2002 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध प्रथम अपील</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p style="text-align: right;"><u>W.R</u></p> <p style="text-align: center;">अपील/एल.आर./2003/6039/सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने प्रथम अपील अपने निर्णय दिनांक 20-9-2003 द्वारा खारिज कर दी जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3- बहस उभय पक्ष सुनी गई।</p> <p>4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि आबंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24-6-2000 को रेस्पॉन्डेन्ट संख्या-1 को किया गया आबंटन नियमों के विपरीत है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पिछले 35 वर्षों से चला आ रहा है। खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत कर रखी है जो उसके कब्जे को प्रमाणित करती है। अपीलान्ट के द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा होने के कारण वह नियमन का हकदार भी था किन्तु अपीलान्ट को उक्त भूमि नियमन नहीं कर अप्रार्थी संख्या-1 से साज-बाज कर विधि विरुद्ध आबंटन किया है। अप्रार्थी संख्या-1 भूमिहीन कृषक नहीं है अपितु उसके पास पहले से ही 25 बीघा भूमि मौजूद है। इन सब तथ्यों की अनदेखी कर आबंटन किया गया है जो काबिल खारिज है। विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, सवाई माधोपुर व विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने निर्णय करते समय उक्त तथ्यों की अनदेखी की है। अतः आबंटन विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, सवाई माधोपुर तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की जाये।</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p style="text-align: right;"><u>W.R</u></p> <p style="text-align: center;">अपील / एल.आर. / 2003 / 6039 / सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>5- उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने कहा कि अप्रार्थी संख्या-1 के पास 25 बीघा भूमि नहीं है अपितु उसका नोशनल शेयर 1 हैक्टेयर से भी कम है। अपीलान्ट का कब्जा अगर था तो वह कोई वैध कब्जा नहीं था और राजस्व अधिकारियों द्वारा उसे बेदखल कर दिया गया था। आबंटन के समय भूमि खाली थी इसलिये अप्रार्थी संख्या-1 को आबंटित की गयी। आबंटन कोई कूटचिंत तरीके से नहीं करवाया गया है, विधि के अनुसार ही हुआ है और अप्रार्थी आबंटन हेतु पूर्ण रूपेण पात्र पाया गया इसलिये उसे आबंटन किया गया। विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, सवाई माधोपुर व विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर में भी प्रकरण चला और दोनों न्यायालयों के द्वारा अपील खारिज कर दी गयी व अप्रार्थी का आबंटन बहाल रखा गया। अतः अपील खारिज योग्य होने के कारण काबिल निरस्तनीय है।</p> <p>6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरों का आदरपूर्वक परिशीलन हुआ।</p> <p>7- रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 के विद्वान अभिभाषक ने निम्न नजीरें प्रस्तुत की :-</p> <p>(1) आरबीजे-2010(17) पेज-157</p> <p>(2) आरबीजे-2009(16) पेज-258</p>	

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p style="text-align: center;"><u>W.R</u></p> <p style="text-align: center;">अपील / एल.आर. / 2003 / 6039 / सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>(3) आरबीजे-2009(16) पेज-789</p> <p>(4) आरबीजे-2009(16) पेज-112</p> <p>(5) आरबीजे-2001(8) पेज-593</p> <p>8- पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 24-6-2000 के द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 को आराजी खसरा नम्बर 406/0.20 हैक्टेयर व 412/0.21 हैक्टेयर का आबंटन सलाहकार समिति ने किया है जिसमें बी.डी.ओ., तहसीलदार व सरपंच उपस्थित थे। इस प्रकार उक्त आबंटन में नियम-13 के प्रावधानों का पालन किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उसका व अप्रार्थी संख्या-3 का विगत 35 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है इसलिये उक्त भूमि उनको नियमित की जानी चाहिये थी। आबंटन सलाहकार समिति ने ऐसा नहीं कर अप्रार्थी को आबंटित कर दी जो कि भूमिहीन कृषक भी नहीं था। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार गंगपुरसिटी की रिपोर्ट दिनांक 7-5-2001 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के बिन्दू संख्या-2 में अंकित है “मुताबिक खसरा चौसाला एवं खसरा परिवर्तनशील संवत् 2054 से 2056 में ग्राम उदेईकलां के खसरा नम्बर-406 व 412 में भी व्यक्ति का अतिक्रमण काश्त एवं कब्जा नहीं रहा।” इस प्रकार स्पष्ट है कि आबंटन के समय अपीलान्ट व अप्रार्थी संख्या-3 का कब्जा विवादित भूमि पर नहीं था और वह भूमि मौके पर खाली थी। अपीलान्ट का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या-1 के पास आबंटन के समय 25 बीघा भूमि खातेदारी में थी, सही नहीं है। क्योंकि तहसीलदार</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p style="text-align: right;"><u>W.R</u></p> <p>अपील/एल.आर./2003/6039/सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>गंगापुरसिटी की रिपोर्ट दिनांक 7-5-2001 के बिन्दु संख्या-4 में लिखा है कि “आबंटी ताहिर पुत्र अयूब मुसलमान के हिस्से में कुल 0.86 हैक्टेयर भूमि आती है। आबंटन नियमों के तहत आबंटी भूमिहीन है।” इस प्रकार अपीलान्ट की यह आपत्ति भी सही नहीं है और सारहीन है।</p> <p>9- आबंटन को निरस्त करने का क्या नियम है ? यह जांचने के लिये हमें राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोग हेतु भूमि आबंटन) नियम-1970 का नियम-14(4) का अवलोकन करना होगा। नियम-14(4) निम्न प्रकार है :-</p> <p style="text-align: center;">“उपखण्ड अधिकारी या (तहसीलदार) द्वारा या नियम-21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आबंटन को या तो स्ववप्रेरणा से यह किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आबंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है, या नियमों के विरुद्ध किया हो अथवा यदि आबंटिती ने आबंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो।</p> <p style="text-align: center;">परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।”</p> <p>10- उक्त नियम के अनुसार कलेक्टर (जिसमें</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p style="text-align: right;"><u>W.R</u></p> <p style="text-align: center;">अपील/एल.आर./2003/6039/सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी सम्मिलित है) भूमि का आबंटन निरस्त कर सकता है बशर्ते वह धोखा (फ्राड), गलत बयानी (Mis representation) अथवा नियमों के विरुद्ध किया गया हो। इस प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो सके कि उक्त आबंटन धोखा अथवा गलत बयानी के द्वारा करवाया गया था और वह नियमों के विपरीत था। अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त भूमि पर उसका कब्जा था अन्य विशेष बिन्दु नहीं है। अब यह निर्धारित किया जाना है कि क्या अतिक्रमण करके किये गये कब्जों के आधार पर आबंटन निरस्त किया जाना चाहिये? इस तथ्य की रोशनी में इस तथ्य का विवेचन किया जा रहा है।</p> <p>11- आरबीजे-2010(17) पेज-157 में नारायण बनाम लक्खा प्रकरण में राजस्व मण्डल ने अभिमत प्रदान किया है कि <i>“When allotment of land made in favour of appellant was not obtained through fraud or misrepresentation of facts, same allotment cannot be cancelled on the basis of long possession of respondent who is a trespasser on the land.”</i></p> <p>आरबीजे-2009(16) पेज-258 में भी यही मत व्यक्त किया है।</p> <p>12- आरबीजे-2009(16) पेज-789 में राजस्व मण्डल में निम्न अभिमत प्रकट किया है कि <i>“When disputed land was in possession of the appellant as trespasser- Such possession should be considered as</i></p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p style="text-align: center;"><u>W.R</u></p> <p style="text-align: center;">अपील / एल.आर. / 2003 / 6039 / सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p><i>trespass- A trespassed land is not considered as an occupied land and such land is available for allotment."</i> जगदीश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया है कि आबंटन को निरस्त करने का आधार केवल धोखा अथवा गलत बयानी द्वारा आबंटन हासिल करना है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिमत 2009(16) पेज-112 में निम्न प्रकार प्रकट किया है :-</p> <p><i>"When there is no fraud or misrepresentation in allotment of land to the respondents, allotment of land cannot be cancelled."</i></p> <p>13- आरबीजे-2001(8) पेज-558 में राजस्व मण्डल ने अभिमत प्रकट किया है कि:-</p> <p style="text-align: center;"><i>"RAJASTHAN LAND REVENUE (ALLOTMENT OF LAND FOR AGRICULTURAL PURPOSES), RULES 1970- RULE 14(4) - Government land in possession of trespasser is unoccupied land- such land can be allotted to the landless person. In this case on the land allotted to the appellant the respondent was in possession as trespasser. The land in possession of trespasser is un-occupied land and same is available for allotment. Therefore, allotment of land made in favour of the appellant is in accordance with law."</i></p> <p>15- इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के द्वारा प्रकट किये अभिमत के अनुसार सिवायचक भूमि में अतिक्रमण करना आबंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्त का विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रमण था मगर राजस्व</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p style="text-align: right;"><u>W.R</u></p> <p style="text-align: center;">अपील / एल.आर. / 2003 / 6039 / सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>अधिकारियों ने उसे बेदखल कर दिया और आबंटन के समय भूमि मौके पर खाली थी। यह तथ्य तहसीलदार गंगापुरसिटी की रिपोर्ट में अंकित है।</p> <p>16- अतः उपर्युक्त विश्लेषण से यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या-1 को विवादित भूमि का विधिवत आबंटन हुआ है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है और वह नियमों के विपरीत नहीं है। ऐसी दशा में आबंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, सवाई माधोपुर व विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपील खारिज करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है एवं अपीलान्ट यह साबित नहीं कर पाये कि आबंटन धोखा देकर या गलत बयानी करके हुआ है। अतः हम उक्त अपील में कोई सार नहीं पाते हैं।</p> <p>17- फलतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(हरिशंकर गोयल) सदस्य</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज W.R अपील / एल.आर. / 2003 / 6039 / सवाई माधोपुर जगदीश आदि बनाम ताहिर आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<hr/>	